

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....

मुकाम.....

बनाम.....

किस्म मुकदमा.....

111,128

नं.

367/2020

सन.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.20	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री <u>नरेश कुमार</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>28.12.20</u> को पेश हो।</p>	
28/12/2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय परिकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पट रिक्त है। अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक <u>08/03/2021</u> को पेश हो।</p>	<p><u>विजय कुमार</u> सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>
08/03/2021	<p>पत्रावली पेश हुई वकूलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पट रिक्त है अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक <u>20/04/2021</u></p> <p>को पेश हो।</p>	
20/04/2021	<p>पत्रावली पेश हुई वकूलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पट रिक्त है अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक <u>11/08/2021</u></p> <p>को पेश हो।</p>	

11/08/2021

पत्रावली पेश हुई वकूलाय परिकेन उपस्थित
पीठापीन अधिकारी का पद रिक्त है 27/10/2021
अतः पत्रावली इत्यादि हाकर दिनांक

डी फेरा टी/२

27/06/2021

प्रार्थी वकूलाय उपस्थित। विप्राधीशगो
के नौदिल लामिल इरम लामिल मयाफत। सीमान
पीठापीन अधिकारी प्रशासन जगो के केंद्र मसिमाम-
2021 के पत्रों के ब्याल्य होने के मिसाल इत्यादि
दोहर प्रशासन दिनांक 23/05/2022 डी फेरा टी/२

23/05/2022

प्रार्थी वकूलाय उपस्थित। विप्राधीशगो के
नौदिल लामिल बुद्धा जफत जिसे लामिल पत्रावली
विप्रा गणा। विप्राधीशगो का केंद्र लामिल अनुउपस्थित।
व्यामालय समय तीन बार दिवाज लमाई गई
दोहिलम दिवाज 5.45 pm पर लमाई गई विप्राधीशगो
दुबने या उनही फोर से दोई दक्षिणम उपस्थित
नही हुआ लिवाजा विप्राधीशगो के विरुद्ध एडवका
दार्पवाही मसाल से लमाई जाती है अतः बालने
बहाल पत्रावली दिनांक - 23/06/2022 डी फेरा टी/२

सहायक क्लर्क (SOO)
नामत
दिनांक

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

नया तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की
तारीख में जारी हुए

22/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहस्यक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाडमेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1033

दिनांक : 23/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. किस्तुरीदेवी पत्नी पुरखाराम,
जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा,
पटवार मण्डल खारडा भारतसिंह,
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. राऊराम पुत्र गोकलाराम वगैरा 12,
जाति जाट, निवासी खारडा भारतसिंह,
पटवार मण्डल खारडा भारतसिंह,
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 367 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - हनुमानपुरा, पटवार मण्डल - खारडा भारतसिंह, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 162, 322/165 रकबा क्रमशः 76.15, 24.14 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1034 - 38

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का खारडा भारतसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमति किस्तुरीदेवी पत्नी पुरखाराम,
4. विप्रार्थी श्री राऊराम पुत्र गोकलाराम वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

सहायक कलेक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 23/06/2022

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला - बाडमेर